नियम और शर्त

- 1. छात्रवृति केवल ई जोन पब्लिक स्कूल इंद्रा कॉलोनी में पढ़ने वाले विद्यार्थियो को ही दी जाएगी तथा छात्रवृति ट्यूशन फीस के माध्यम से दी जायेगी।
- 2. टॉप आने वाले 20 विद्यार्थियो को प्रमाण पत्र दिया जाएगा ।
- 3. विद्यार्थी के छात्रवृति के अलावा जो भी ट्यूशन फीस बचती हैं वह उसे 31 दिसंबर तक जमा करवाना अनिवार्य हैं । अन्यथा उसकी अगले वर्ष की छात्रवृति संस्था द्वारा समाप्त कर दी जाएगी ।